



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-28082025-265751
CG-CG-E-28082025-265751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3805]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947

No. 3805]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
(द.पू.म. रेलवे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 26 अगस्त 2025

का.आ. 3910(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989, (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मध्यप्रदेश राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना, तालिका के स्तंभ (4) एवं (5) में उल्लेखित तहसील एवं जिला से संबंधित इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करता हूँ।

सारणी-1

क्रम.सं.	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट	डबलिंग गोंदिया-जबलपुर के मध्य (230.50 कि.मी.)	बलाघाट लामता	बलाघाट

[फा. सं. डीसीई/सी/III/जी/जी-जेबीपी/230.5 कि.मी./7ए/1]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****(S.E.C. RAILWAY)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 26th August 2025

S.O. 3910(E).—In exercise of powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below & relating to Tahsil and District in column (4) & (5) of the table below in the State of Madhya Pradesh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Table-I

Sl No.	Competent Authority	Special Railway Project	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sub Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Balaghat	Doubling between Gondia – Jabalpur (230.50 Km)	Balaghat <u>Lamta</u>	Balaghat

[F. No. DCE//C/III/G/G-JBP/230.5 Km./7A/1]
ALOK TIWAR, Chief Administrative Officer (Con.)